

भारत का राजपत्र **The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 108] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 22, 1972/फाल्गुन 3, 1893

No. 108] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 22, 1972/PHALGUNA 3, 1893

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February 1972

S. O. 150(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints, in addition to the officer appointed in its notification No. 434/AS/72, Dated the 21st January, 1972, the officer of the Government of Assam as specified in column 2 of the Table below to assist the Returning Officer of the Parliamentary constituency specified in column 1 of the said Table :—

TABLE

S. No. and Name of the Parliamentary Constituency	Assistant Returning Officer.
1	2
1—Diphu (S.T.)	1. Deputy Commissioner, Haflong. 2. Senior extra-Assistant Commissioner, Haflong. 3. Extra Assistant Commissioner, Haflong. 4. Officer-in-charge Election, Haflong. 5. Sub-Deputy Magistrate, Haflong. 6. Sub-Divisional Officer, Hamren. 7. Extra Assistant Commissioner, Diphu. 8. Election Officer, Diphu.

[No. 434/AS/72]

By Order,

K. S. RAJAGOPALAN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1972

एस० ओ० 150 (अ).—नोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा अपनी अधिसूचना सं० 434/अमम/72, तारीख 2 जनवरी 1972 द्वारा नियुक्त आफिसर के अतिरिक्त, निम्नलिखित सारणों के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बारे में, उक्त सारणों के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट असम सरकार के आफिसरों का रिटनिंग आफिसर को सहायता करने के लिए नियुक्त करना है :—

सारणों

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम तथा क्रम सं०	सहायक रिटनिंग आफिसर
1	2
3 डिफू (अजजा)	1 उपायुक्त, हाफलोंग । 2 ज्येष्ठ अतिरिक्त—सहायक आयुक्त हाफलोंग । 3 अतिरिक्त सहायक आयुक्त हाफलोंग । 4 भारसाधक आफिसर, निर्वाचन हाफलोंग । 5 सब-डिप्टी मजिस्ट्रेट, हाफलोंग । 6 उप-खंड आफिसर, हमरेन । 7 अतिरिक्त सहायक आयुक्त, डिफू । 8 निर्वाचन आफिसर, डिफू ।

[स० 434/अमम/72]

आदेश में,

के० एस० राजगोपालन,

सचिव, भारत निर्वाचन आयोग ।